न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120043092024

Warrant or Summons Criminal Case/2489/2024

परिवाद संख्या–2489/2024
नमन त्यागी बनाम दिव्यांश गर्ग
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–10.03.2026

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2025 को तलबी आदेश पारित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 21.08.2025 द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अभियुक्त को संज्ञान से पूर्व न तो नोटिस दिया गया, न ही उसे संज्ञान के स्तर पर सुना गया। विपक्षी के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये, परंतु विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात परिवादी को तलबी के बिन्दु पर पुनः सुना गया तथा पत्रावली वास्ते तलबी आदेशार्थ नियत की गयी।

परिवादी नमन त्यागी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी दिव्यांश गर्ग के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विपक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते है एवम आपस में अच्छे दोस्त है और वक्त जरूरत एक दूसरे के काम आते रहे है। विपक्षी प्रार्थी के घर दिनांक 1.07.2024 को आया और कहा कि भाई हम सेमसगं का भाोरूम रेलवे रोड हापुड में खोल रहे है। जिसमे करीब 25 लाख रूप्ये की आव यक्ता है इसमे हमारे पास 10 लाख रूप्ये तो है 15 लाख रूप्ये कम पड़ रहें है। आप मुझे 15,00,000 रू० उधार दे दें, मै दिनांक 01.09. 2024 को आपके ये 15,00,000 रु० एवं पिछले 2,51,500 रू0 कुल अकंन 17,51,500 वापस कर दूँगा प्रार्थी ने विपक्षी को 15,00,000 रु० दोस्ती होने के कारण विपक्षी पर विस्वास करके विपक्षी को नगद दे दिये। प्रार्थी ने वायदे के अनुसार दिनाँक 01.09.2024 को अपने उधार के 15,00,000 रू0 का तकादा किया तो विपक्षी ने प्रार्थी को एक चैक सं० 000045 अंकन 15,00,000 रू० दिया और कहा कि यह चैक बैंक में लगाकर आप 15,00,000 रू० प्राप्त कर लेना आपके पिछले बाकि 2,51,500 10 दिन बाद दे दूगां। प्रार्थी ने उक्त चैक दिनाकं बैंक में लगाया तो बैंक वालो ने उक्त चैक बाउन्स करके प्रार्थी को दिनाक 01.10.2024 को वापस कर दिया। चैक बाउन्स होने की सूचना प्रार्थी ने विपक्षी को मौखिक रूप से दी तो विपक्षी ने कोई जवाब नही दिया। तो प्रार्थी को विपक्षी की बदनियती दिखने लगी तब प्रार्थी ने विपक्षी को दिनाक 28.10.2024 को लीगल नोटिस के माध्यम से सूचित करा था पूर विपक्षी को दिनाक 29.10.2024 को प्राप्त हो गया था फिर भी पैसे वापस नहीं दिये।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एक किता असल चैक संख्या 000045, अंकन 15,00,000/– रूपये दिनांकित

08.09.2024, एक किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 28.10.2024 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

तलबी के प्रश्न पर परिवादी नमन त्यागी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी दिव्यांश गर्ग द्वारा असल चैक संख्या 000045, अंकन 15,00,000/– रूपये दिनांकित 08.09.2024 दिया गया था, जो दिनांक 01.10.2024 को Funds insufficient की टिप्पणी के साथ मय रिटर्न मीमो के वापिस कर दिया। परिवादी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक 05.12.2024 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त दिव्यांश गर्ग के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

आदेश

अतः अभियुक्त **दिव्यांश गर्ग पुत्र मनीष गर्ग निवासी जे–226, आनन्द विहार, दिल्ली रोड, हापुड़, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक– 08.04.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।

2. परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।

3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.04.08 12:55:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court